306

430

न्यायालय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर (म0प्र0)

प्रकरण क्रमांक R.1286-I/12

10 रु. COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES विलोपित/विलोपित 10 रु. FEE Rs.10 INDIA दस रुपये TEN RUPEES

1— छोटेलाल पिता छोटकू अहिर

2— जगदीश पिता रामसेवक अहिर

दोनो निवासी ग्राम दुधमनिया, तहसील चितरंगी, जिला सिगरौली (म0प्र0)

——————आवेदकगण

R-1286-I/12

बनाम

1— रामकुमार पिता मोलई यादव

2— कन्हई पिता रामकुमार यादव

दोनो निवासी ग्राम दुधमनिया, तहसील तहसील चितरंगी, जिला सिगरौली (म0प्र0)

3— म0प्र0 शासन

——————अनावेदकगण

निगरानी विरूद्ध आदेश व निर्णय श्रीमान् कलेक्टर जिला सिगरौली के प्रकरण क0—97 / निगरानी / 09—10 में पारित आदेश दिनांक 28 / 03 / 12 अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू0रा0सं0 1959 ई0

दिनांक 19.4.2012

19.4.12

मान्यवर,

प्रकरण के तथ्य :—

2.5.12

यह कि भूमि खसरा क0—280 / 425 / 2 रकवा 0.995 हे0 स्थित ग्राम दुधमनिया, तहसील चितरंगी के भूमि को म0प्र0 दखल रहित भूमियों पर भूस्वामी अधिकारो का प्रदान किया जाना (विशेष उपबंध) 1984 के अंतर्गत आवेदक क0—1 को पात्र पाये जाने पर नायब तहसीलदार ने प्रकरण कमांक—51 / अ—19(4) / 96—97 में पारित आदेश दिनांक 30 / 11 / 96 को भूमिस्वामी स्वत्व प्रदान किया जिस आदेश के विरूद्ध अनावेदकगण क0—1, 2 में समयावधित निगरानी कलेक्टर के यहां प्रस्तुत की जो स्वीकार कर लिये जाने से पीड़ित होकर यह निगरानी माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है ।

अनावेदक क्र. 1 के वारिस

(1) [illegible] पिता स्व. श्री राजकुमार [illegible]
[illegible] पिता स्व. श्री राजकुमार [illegible]
[illegible] पिता स्व श्री राजकुमार [illegible]
[illegible] पत्नी स्व. श्री राजकुमार [illegible]
[illegible] तह. चितरंगी जिला सिंगरौली [illegible]
(5). सुनयना पत्नी स्व. श्री राजकुमार [illegible]
[illegible] तह. चितरंगी जिला सिंगरौली [illegible]

170

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक R-1286-I/12 जिला– सिंगरोली

छोटेलाल आदि वगैरा विरूद्ध रामकुमार यादव व अन्य

(1)	(2)	(3)
17-1-19	1. आवेदक की ओर से श्री अजनी कुमार सोनी अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी कलेक्टर/ ~~अपर कलेक्टर~~, जिला सिंगरोली के प्रकरण क्रमांक 97/निग-/2009-10 में पारित आदेश दिनांक 28-3-12 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 5-3-19 को कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य	